न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी अपील सं. 21/2021 CIS No. 02/2016

राजेन्द्र प्रसाद बनाम गोविन्द प्रसाद व अन्य

दिनांक 20.01.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लाने हेतु दिनांकित 03.12.2024, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी दिनांकित 10.12.2024 तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लाने हेतु दिनांकित 03.12.2024 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट श्रीमती मधु की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट की श्रीमती मधु से बोलचाल एवं पारिवारिक संबंध नहीं रहे हैं। अपीलान्ट की जानकारी के अनुसार रेस्पोडेन्ट श्रीमती मधु के कानूनी वारिस उसके पति विजय कुमार पुत्र नामालुम, जाति ब्राह्मण, निवासी नागौर है तथा श्रीमती मधु के पुत्र एवं पुत्री होना ज्ञात हुआ है, परन्तु उनके नाम अपीलान्ट को जानकारी में नहीं है। प्रार्थना पत्र जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद 90 दिन में प्रस्तुत है। अतः श्रीमती मधु रेस्पोडेन्ट के विधिक वारिस विजय कुमार पुत्र नामालुम, जाति ब्राह्मण, निवासी नागौर को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी दिनांकित 10.12.2024 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सं. 7 मधु की मृत्यु होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा न्यायालय में जाहिर करने के कारण हुई थी तथा सद्भाविक कारणवश

निर्धारित मियाद में कानूनी वारिसान को रिकार्ड पर लाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अतः प्राथ ना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करके रेस्पोडेन्ट सं. 7 मधु के विरुद्ध अपील का उपशमन निरस्त करने का निवेदन किया।

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 7 श्रीमती मधु, जो कि मूल दावे में प्रतिवादी सं. 1 की कानूनी वारिस पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 1 सूरजनारायण के अन्य वारिसान पहले से ही रिकॉर्ड पर हैं तथा निर्धारित अवधि में सद्भाविक कारणवश कानूनी वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अतः वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र में हुए देरी को माफ कर अपील का अबेटमेंट निरस्त करने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्रों का प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से **लिखित जवाब** प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 ने कथन किया है कि दिनांक 19.07.2023 को उत्तरदाता सं. 2 रतन देवी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.05.2023 को आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उनकी मृत्यु की दिनांक 05.05.2022 के एक साल 25 दिन बाद पेश किया था, जिसका जवाब प्रस्तुत किया गया था। जवाब के पैरा सं. 2 में अंकित किया गया है कि श्रीमती मधु का स्वर्गवास किशनगढ़ में हुआ था। अपीलान्ट को अच्छी तरह से जानकारी है, जो उत्तरदाता के पारिवारिक सदस्य हैं तथा मधु की लाश को उसके ससुराल रातोंरात उत्तरदाता व अपीलान्ट लेकर गए थे। अर्थात् अपीलान्ट की जानकारी में जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2023 से अच्छी तरह से है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 के कथन गलत, निराधार है। अपीलान्ट व उत्तरदाता एक ही परिवार के सदस्य हैं। मृत्यु के काम में बोलचाल नहीं भी होती है तो भी पारिवारिक कार्य में जाना पड़ता है। मधु अपीलान्ट के ताउजी की सगी लड़की है, उसके पुत्र–पुत्री तथा पति सभी के नाम की जानकारी है। अपीलान्ट को मधु की मृत्यु की

जानकारी कब हुई, किस दिनांक, माह, सन को हुई, यह अंकन नहीं किया है तो प्रार्थना पत्र किस दिनांक, माह, सन से अन्दर मियाद 90 दिन पेश है, अंकित नहीं किया है। मधु का स्वर्गवास हो चुका है, उक्त तथ्य प्रस्तुत जवाब दिनांक 19.07.2023 को अपीलान्ट की जानकारी में आ चुका था। उसके बाद भी मधु के कायम मुकाम के बाबत एक साल चार माह 14 दिन बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी की क्षमा बाबत पेश नहीं किया है। अपीलान्ट की अपील अबेट हो चुकी है तथा अबेटमेंट को निरस्त करने का समय भी निकल चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना को विलंब से प्रस्तुत करने का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। दिनांक 06.08.2022 से दिनांक 10.12.2024 तक हुई देरी को किसी आधार पर माफ नहीं किया जा सकता।अपील अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में भी उत्तरदाता ने यह कथन किया है कि अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अपीलार्थी व उत्तरदाता एक ही परिवार के सदस्य हैं। मधु अपीलान्ट के ताउजी की सगी लड़की है, जिसके बच्चों व पति का नाम अच्छे से जानते हैं। अपीलार्थी ने जानबूझकर प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2023 को जानकारी देने के पश्चात् भी हस्तगत प्रार्थना पत्र एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया है, जो अन्दर मियाद 90 दिवस के नहीं है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अपीलार्थी की ओर से जरिए प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट सं. 7 श्रीमती मधु पुत्री स्व. श्री सूरजनारायण की मृत्यु की

जानकारी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र रतन देवी में रेस्पोडेंट द्वारा अंकित किए जाने से होना बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश करने में जो विलंब हुआ है, उसको माफ करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित श्रीमती मधु के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है, परंतु अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि श्रीमती मधु की मृत्यु कब हुई। इसके अतिरिक्त न ही उसके समर्थन में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है। यदि यह तथ्य मान भी लिया जावे कि श्रीमती मधु की मृत्यु हो गई है, फिर भी परिसीमा अवधि की गणना के लिए उसकी मृत्यु की दिनांक का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने मधु की मृत्यु की जानकारी रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करने पर जाहिर होना बताया है, परंतु उक्त दिनांक भी अंकित नहीं की कि किस दिनांक को उन्हें जानकारी हुई कि मधु की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट मधु के विधिक वारिसान में उसके पति विजय कुमार पुत्र नामालुम होना बताया है तथा पुत्र–पुत्री होना बताया है, परंतु उनके नाम जानकारी में नहीं होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट मधु के वारिसान के पूर्ण नाम पते अंकित नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना संभव नहीं है। रेस्पोडेंट मधु के पति का नाम विजय कुमार पुत्र नामालुम, जाति ब्राह्मण, निवासी नागौर होना बताया है तथा दिनांक 15.01.2025 को विजय कुमार का पता पेश किया गया, परंतु उसमें भी पिता का नाम अंकित नहीं है। हाथी चौक, नागौर अंकित है, परंतु कोई गली, मोहल्ला, मकान संख्या इत्यादि अंकित नहीं है। नागौर में कहां, किस स्थान पर निवास करते हैं, ऐसा कोई विशिष्ट पता अंकित नहीं किया है ना ही उसके पिता का नाम अंकित किया है। पुत्र–पुत्रियों का भी कोई नाम पता अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थित में उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट का परिवारजन होना बताया है। अतः अपीलान्ट को रेस्पोडेंट मधु के वारिसान के नाम पते की जानकारी नहीं हो, यह प्रार्थना

पत्र से प्रकट नहीं होता है ना ही विश्वसनीय प्रकट होता है। रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब में एक ही परिवार के सदस्य होना बताया है तथा स्वयं अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में भी बोलचाल एवं पारिवारिक संबंध नहीं होने बताया है, परंतु वे एक ही परिवार के सदस्य न हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया है। अतः उन्हें मधु की मृत्यु की जानकारी नहीं रही हो व उनके वारिसान कौन है, इसके संबंध में जानकारी नहीं रही हो, यह तथ्य प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों से प्रकट नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में यद्यपि मधु की मृत्यु की दिनांक को अंकित नहीं किया है ना ही जवाब प्रार्थना पत्र की दिनांक, जिससे उसे जानकारी हुई अंकित की गई है। फिर भी यदि पत्रावली पर संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र की दिनांक का अवलोकन किया जावे तो उक्त जवाब दिनांक 19.07.2023 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी, जो रतन प्रभा के संबंध में प्रस्तुत किया गया था, में अंकित है कि मधु का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त दिनांक से हस्तगत प्रार्थना पत्र की प्रस्तुति की दिनांक की गणना की जावे तो हस्तगत प्रार्थना पत्र करीब एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् पेश किया गया है। इतने समय तक प्रार्थना पत्र विधिक वारिसान बाबत प्रस्तुत नहीं करने का कोई यथोचित कारण भी आदेश 22 नियम 9 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम में व्यक्त नहीं किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी की मृत्यु की दिनांक से 90 दिन की अवधि में पक्षकारान को प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है अन्यथा पक्षकार के विरूद्ध कार्यवाही अबेट मानी जाती है तथा 60 दिन के भीतर उक्त अबेटमेंट को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि उक्त अवधि के पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत भी प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होता है। यद्यपि अपीलान्ट ने उपशमन को अपास्त करने व धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मियाद को बढ़ाने के संबंध में पेश किया है, परंतु उक्त दोनों प्रार्थना

पत्र में विलंब का कोई कारण वर्णित नहीं किया है ना ही कायम मुकाम का पूर्ण नाम, वल्दीयत, पता विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित है। अतः ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट मधु की मृत्यु से उसके विरूद्ध जो अपील अबेट हो चुकी है, उसको अपास्त नहीं किया जा सकता और ना ही विधिक वारिसान के नाम, पते के अभाव में अधूरे नाम के आधार पर रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने व उपशमन अपास्त करने व विलंब को क्षमा करने के तीनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

प्रत्यर्थी सं. 7 श्रीमती मधु के विरूद्ध कार्यवाही अबेट हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में सिविल लिपिक को आदेश दिया जाता है कि वह लाल स्याही से उक्त रेस्पोडेंट के आगे अबेट होना अंकित करे।

पत्रावली वास्ते बहस अपील में दिनांक 28.01.2026 को पेश हो।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II
"Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.01.21 11:19:44 +0530